यश मालवीय की कविता

''जय भोले! जय नमो नमो!!''

''जय भोले! जय नमो नमो!!''
राशन और किरासन देखा
राघव देखा, रावण देखा
आग उगलता आंगन देखा
सूनी आंखों बर्तन देखा
पांव नहीं पर नर्तन देखा
शीशे में आवर्तन देखा

हर जर्रा, हर दर्रा बोला
जय भोल! जय नमो नमो!!

धानी देखा, भगवा देखा
सूरज को ही अगवा देखा
मुंह तो नहीं मगर जनता से
बतियाता मुंहनोचवा देखा

चुप्पा पुलिस प्रशासन देखा
लंगड़ा सा अनुशासन देखा
गांठों में गटबंधन देखा
पल पल में परिवर्तन देखा
सुख दुःख में संवर्धन देखा
जीवन को आजीवन देखा

हर जर्रा, हर दर्रा बोला
जय भोले! जय नमो नमा!!

ये गुजराती करतब देखा
कीर्तन करता सा रब देखा

बिखरी छितरी सी दाढ़ी में
सधा सधा पद मनसब देखा
मुद्रा में तन मन धन देखा
समर नहीं समरांगण देखा
लौह पुरुष का ठनगन देखा

वज्र नहीं वज्रासन देखा
चौका देखा बासन देखा
आस लगाता आसन देखा
बिन जीवन के जीवन देखा

हर जर्रा, हर दर्रा बोला
जय भोले! जय नमो नमो!!

बड़ी भीड़ को बकरी देखा
प्रेम गली को संकरी देखा
सिर की बात नहीं थी कोई
टोपी देखा, पगड़ी देखा
ऐशगाह में पूजन देखा
पूजन देखा, अर्चन देखा

आरी सा आराधन देखा
कटता सा निर्बंधन देखा
पिटता हुआ प्रबंधन देखा
चुना हुआ निर्वाचन देखा

हर जर्रा, हर दर्रा बोला
जय भोले! जय नमो नमो!!

भ्रष्टाचार को संरक्षण देते सूचना आयुक्त

पलवल। आज कल देश में कांग्रेसी बड़े गर्व से कहते फिरते हैं कि यू पी ए सरकार ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जन सूचना अधिकार 2005 को लागू करके ऐतिहासिक कार्य किया है लेकिन उनकी ही पार्टी की हरियाणा सरकार अपने चापलूस नौकरशाहों को सूचना आयुक्त नियुक्त करके उनके माध्यम से इस कानून की हत्या करवा रही है। हरियाणा में जब से जन सूचना कानून लागू किया गया है तभी से मुख्य मंत्री हुड्डा ने सूचना आयोग में अपने सबसे अधिक चापलूस रिटायर्ड नौकरशाहों को सूचना आयुक्त बनाया है। मुख्यमंत्री हुड्डा के कृपा पात्र सूचना आयुक्तों ने भी अपनी स्वामी भक्ति दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। इन सूचना आयुक्तों द्वारा दिये निर्णयों की अनेकों शिकायतें राज्यपाल को की जा रही हैं लेकिन मजाल है कि इनको कोई असर हो रहा हो। सूचना आयुक्तों के इस रवैये को देखते हुए हरियाणा में अधिकारी भी चौड़े हो गए हैं वे किसी को आसानी से सूचना देते ही नहीं और यदि देनी भी पड़ जाए तो आधी अधूरी सूचना दी जाती है किसी भी विभाग से सूचना लेना टेढ़ी खीर बन चुका है। इस पर आवेदक सूचना आयोग में बड़ी आशा से अपील करता है कि सूचना आयोग सूचना तो दिलवाएगा ही बल्कि सूचना देने में देरी करने या अधूरी देने वाले अधिकारियों पर जुर्माना भी करेगा लेकिन जब उसका आयोग से पाला पड़ता है तब उसे यहाँ कि वास्तविकता का पता चलता है इसके बाद आवेदक जाए तो जाए कहाँ? इनके निर्णयों के विरुद्ध एकमात्र रास्ता हाई कोर्ट जाने का ही बचता है लेकिन सीमित आय वाले लोग हाईकोर्ट तक जाएँ तो कैसे जाएँ फिर वहाँ से भी न्याय मिलना कोई आसान नहीं है।

एस ही एक मामला गाँव औरंगाबाद तह होडल पलवल का है जिसमे एक पंचायत के निर्वाचित पंच ने वहाँ के सरपंच के भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम छेड़ रखी है। यह सर्वविदित है किसरपंच अकेला कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता जबतक कि सरकारी अधिकारी उसमे सम्मिलित न हों यहाँ भी ऐसा ही है पंचायत को आवंटित करोड़ों के बजट में भारी गोलमाल सरपंच ने बीडीपी ओ व डी डी पी ओ से मिलकर किया हुआ है चूंकि सरपंच सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस का एक ब्लॉक स्तर का पदाधिकार व यहाँ के सर्वाधिक ताकतवर पूर्वमन्त्री का खास आदमी है इसलिए सोने पे सुहागा वाली बात हो रही है। इस पंच गिर्राजसिंह ने सन 2011 में मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के बारे में बी डी पी ओ से सूचना मांगी थी जिसको न तो बी डी पी ओ ने दिया न ही सरपंच ने दिया इस पर उसने डी डी पी ओ को अपील की इस अपील के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर उसने सूचना आयुक्त नरेश गुलाटी को अपील की। इस अपील पर सुवाई करते हुए सूचना आयुक्त ने बजाय जुर्माना करने के सरपंच व बी डी पी ओ को बरी कर दिया। इसके बाद गिर्राज सिंह ने फिर सरपंच से गाँव औरंगाबाद की पंचायत की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों व पंचायत की कृषिभूमि जिसको पंचायत पट्टे पर छोडती है, के बारे में सूचना मांगी लेकिन सरपंच और न ही बीड़ी पी ओ ने सूचना देना तो दूर उसके पत्रों का जबाब देना भी उचित नहीं समझा इसकी अपील डी डी पी ओ को भी की लेकिन कोई जबाब वहाँ से भी नहीं मिला इस पर फिर गिर्राजसिंह ने सूचना आयुक्त नरेश गुलाटी को अपील की। वहाँ से सुनवाई के दौरान सरपंच व बी डी पी ओ ने झूँठ बोला कि उन्होने तो आवेदक को कई बार सूचना भेझ रखी है इसपर आवेदक ने सूचना आयुक्त को उसी समय कहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं यदि इन्होने सूचना दी है तो इनके पास कोई तो प्रमाण होगा लेकिन एक बार फिर सूचना आयुक्त ने सरपंच व बी डी पी ओ का पक्ष लिया और उन्हे अगले सात दिन में सूचना देने को कहकर मामले पर लीपा पोती कर दी लेकिन इसके बाद भी आवेदक को सात सीन मई कोई सूचना नहीं दी गई लगभग एक माह बाद उसके पास पुरानी सूचना की एक कापी यह लिखकर भेझ दी कि यह सूचना आपको पहले भी दी जा चुकी है। अब आवेदक जाए तो कहाँ जाए?

पेज 1 का शेष

राजा के दरबार में खड़ी जनता आम आदमी का कुछ नहीं बनता

सरकार के भी सारे महकमे बाकी सारे काम छोड़कर इन शिकायतपत्रों का पेट भरने में ही लगे रहेंगे। इस आपाधापी में शिकायतकर्ताओं को क्या वास्तविक राहत मिल पायेगी?

ऐसे में उन डेढ करोड़ लोग़ों का क्या होगा जो केजरीवाल-दरबार में अपने सारे काम-काज छोड़ कर धक्के खाने नहीं पहुंच सकते? यह सवाल भी उठाया जा सकता है कि जब ये दरबार इतने जनउपयोगी हैं तो सरकार सातों दिन दरबार ही क्यों नहीं लगाती? यह देखना मुश्किल नहीं है कि इन दरबारों का हश्र क्या होने जा रहा है? शुरू में जो एक बार इस दरबार में आया है वह एक-दो बार और आयेगा; हर बार कुछ नये लोग भी जुड़ेंगे; सरकारी महकमो के रूटीन में ये दरबार भी एक और रूटीन बनकर शामिल हो जायेंगे, धीरे-धीरे आने वालों की संख्या घटती जायेगी; अन्त में पूरी कवायद सरकारी आंकड़ों का खेल बनकर रह जायेगी।

क्या केजरीवाल और आप पार्टी के थिंकटैंक को इतना भी नज़र नहीं आता कि सचिवालय या मन्त्रियों की कोठियों पर जनदरबार लगाना, राजा का प्रशासनिक नजरिया है। जनता के नजरिये से तो सरकार को आम आदमी के दरवाज़े पर पहुंचना चाहिये। इसका मतलब यह नहीं कि इन दरबारों का विकेन्द्रीकरण करने से जनता का कोई भला हो जायेगा। हरियाणा में चौटालों ने भी 'सरकार आपके द्वार' नाम से ऐसे ही विकेन्द्रीकृत दरबार शहरों-कस्बों-गांवों में लगाने शुरू किये थे जो तमाम कांग्रेसी सरकारों ने भी जारी रखे हैं। इन दरबारों में अफ़सरों/विधायकों/मन्त्रियों/महकमों का जमावड़ा लोग़ों से शिकायतपत्र पकड़ता रहा पर साथ ही साथ प्रशासन की जनता पर मार ज्यों की त्यों कायम रही।

केजरीवाल दरबारों का नतीजा भी यही निकलने जा रहा है। क्योंकि इनमें भी वही बुनियादी ग़लती हो रही है। बुनियादी प्रश्न भी वही है कि सरकार का तन्त्र जनता को राहत क्यों नहीं दे पा रहा? सरकार का ढांचा ऐसा है कि उसके प्रतिनिधि गांव-गांव तक फ़ैले हुए हैं। फ़िर लोग़ों को सचिवालय के धक्के क्यों खिलाये जायें। यदि एक व्यक्ति को भी सचिवालय आना पड़ता है तो इसका एकमात्र निष्कर्ष यही निकाला जाना चाहिये कि व्यवस्था में कहीं न कहीं खोट है। और जब 50 हज़ार व्यक्तियों को आना पड़े तो इसका मतलब है कि प्रशासन पूरी तरह ही चरमरा गया है।

यह 'आप'पार्टी की दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार के मोर्चे पर अब तक की गई कार्यवाही का प्रभाव न पड़ने की एक बानगी भी है। अन्यथा जिन महकमों में देरी या रिश्वत की शिकायतें लेकर लोग सचिवालय आ रहे हैं, उनके आला अधिकारियों की अब तक खाट खड़ी हो जानी चाहिये थी। उन मन्त्रियों के इस्तीफ़ों का नम्बर भी जल्द ही आना चाहिये, जिनके मन्त्रालयों/ विभागों को लोग़ों की परेशानिंया दूर करने में सफ़लता नहीं मिल पा रही। सिपाहियों और नक्शा-नवीसों को रंगे हाथ पकड़ने का नाटक मीडिया की सुर्खियां तो बन सकता है पर जनता को वास्तविक राहत नहीं दिला सकता।

पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार से लड़ने और सुराज लाने की लोकतान्त्रिक प्रणालियां आम आदमी को सशक्त बनाने की विधियों से निकलती हैं। इन विधियों में मुख्यत: पारदर्शिता, समयबद्धता, जवाबदेही तकनीकी निगरानी और जनता की रोजमर्रा के प्रशासन में भागीदारी शामिल हैं। केजरीवाल सरकार को अपने प्रयास इन दिशाओं में केन्द्रित करने होंगे न कि अन्य सरकारों की तरह दिखावटी आंकड़ेबाज़ी व दरबारी बाजीगरी में। यह सिलसिला उन्हें शीघ्रातिशीघ्र ज़मीन पर उतारना पड़ेगा। अन्यथा, आगामी चुनाव तक उनकी साख उनका साथ छोड़ती मिलेगी।

भ्रष्टाचार पर उपदेश और 'आदर्श' की दीक्षा

तो उनके ऐन बगल में हिमाचल के मुख्यमंत्री बीरभद्र सिंह विराजमान थे जिन पर केन्द्रीय मन्त्री के नाते करोड़ों की घूस डकारने के सबूत सार्वजनिक रूप से उछाले जा रहे हैं। घूस देने वाली कम्पनी के खातों में वीरभद्र का नाम आया हुआ है और उसी दौरान उतनी ही रकम उनके बैंक खातों में जमा की हुई है। पर राहुल की कांग्रेसी पार्टी ने वीरभद्र को फ़िलहाल ईमानदारी का प्रमाणपत्र दे रखा है।

हालांकि राहुल की नीयत को 'आदर्श' जैसी दीक्षाओं से नापने की ग़लती इस देश का मतदाता नहीं करेगा। बेशक संसद उपरोक्त सारे बिल पास कर दे और वीरभद्र की छुट्टी भी हो जाय राहुल की नीयत की अग्निपरीक्षा बहनोई राबर्ट वाड्रा को लेकर ही होगी। यह भी तय है कि बिना इस अग्निपरीक्षा से निकले देश की जनता राहुल को भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का नायक स्वीकारने नहीं जा रही।

वाड्रा का मामला आजकल बस्ता-खामोशी में है। मोदी और भाजपाई भी इसे नहीं उठा रहे क्योंकि घोटाले में शामिल रीयल एस्टेट कम्पनी डी एल एफ भाजपा के खर्चे-पानी का भी उतना ही ख्याल रखती है जितना कि कांग्रेस का। पर आम आदमी की चेतना में यह मुकदमा अभी चल रहा है। राहुल गांधी के इसमें दखलंदाज़ी का मतलब होगा वाड्रा, डी एल एफ और मुख्यमंत्री हुड्डा के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करना।

क्या राहुल गांधी में यह दम है? अगर नहीं, तो आगामी चुनावों में वे भ्रष्टाचार विरोधी लहर के नायक नहीं बन सकते।

REMEMBRANCE

On the 11th Death Anniversary of

Dy S. P. **NIRANJAN SINGH**

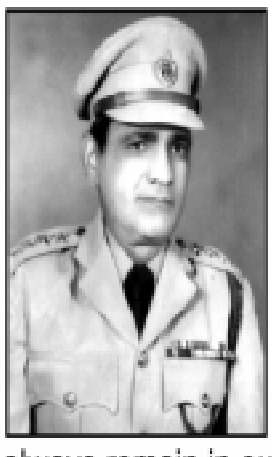

You will always remain in our hearts.

Deeply Remembered by :

Sumitra Devi	- Wife
Satish Kumar, Anil Kumar	- Sons
Nirmal, Nisha	- Daughters
Dr. S.S. Beniwal, S.S. Sheokand	- Sons-in law
Grand Sons & Daughters	-

Nidhi, Nakul, Yajur, Bobby, Divyejeet, Akhil & Vidushi